मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-16

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2004 (श्रावण 6, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

१. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल २५ तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम ४७ (२) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 53 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती की सदन में उपस्थित होने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये)

व्यवधान होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही 10.46 बजे 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होकर 11.31 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती की सदन में उपस्थित होने की मांग करते हुए गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम अजनार में श्री जाटव के घर पर हमला व आरोपियों को पुलिस द्वारा संरक्षण.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल के रूट नं 4,5 एवं 19 पर चलने वाली बसों को आगे के रूट तक संचालित किये जाने.

(3) डॉ. आई. एम. पी. वर्मा, सदस्य की जबलपुर के ग्राम पौड़ी के एक व्यक्ति की जमीन सूदखोरों द्वारा हड़पने,

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल की शांति निकेतन गृह निर्माण सिमिति में धांधली होने,

(5) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, सदस्य की आष्टा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स एवं स्टाफ का अभाव होने,

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की सीतामऊ विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्राम मुख्य सड़क से न जोड़े जाने,

(7) श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी, सदस्य की रायसेन के ग्राम उमरावगंज से सकरिया तक सड़क निर्माण का कार्य अधूरा होने,

(8) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की जिला कटनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुघरा में शिक्षकों का अभाव होने,

(9) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बैतूल जिले के मुलताई में स्थित जैन आइस्क्रीम फैक्ट्री को बंद किये जाने, तथा

(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के थाना आगरा के पुलिस कर्मियों द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघव जी,वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च,2003 को समाप्त वर्ष (सिविल),

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, समाज कल्याण मंत्री ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संख्यांक 1 सन् 1996) की धारा-65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्त जन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, तथा

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य ने शिवपुरी जिले के पिछोर-चंदेरी रोड स्थित ग्राम बामौर कलां में लोक निर्माण विभाग द्वारा मकान तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय लोक निर्माण मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के सदन में उपस्थिति न होने एवं उनकी मांग न मानी जाने के विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया)

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पिपरई से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन राज्यमंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

5. वक्तव्य

(1) चौधरी चन्द्रभान सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिनांक 14 जुलाई,2004 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 3588) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में, तथा

(2) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, वन मंत्री ने दिनांक 5 जुलाई,2004 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्रमांक 2153) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में,
वक्तव्य दिये।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2004 (क्रमांक 12 सन् 2004) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. सुनीलम्
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) श्री उमाशंकर गुप्ता (भाषण अपूर्ण)

(चर्चा अपूर्ण)

7. स्वागत

जबलपुर से सांसद, श्री राकेश सिंह की सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(5) श्री नारायण त्रिपाठी
(6) श्री शिवप्रसाद राठौर
(7) श्री शंकरलाल तिवारी
(8) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला

(चर्चा अपूर्ण)

9. स्वागत

श्रीमती सुमित्रा महाजन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं वर्तमान सांसद की सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर उनका सदन द्वारा स्वागत किया गया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(9) श्री बहादुर सिंह चौहान

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2004 (क्रमांक 12 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

1.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2004 (श्रावण 7, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.